न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575/2025

09.04.2026 प्रस्तुत मामले में कुल 05 अभियुक्तगण में से काराधीन अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र सिंह, 2. निखिल कुमार गोयल एवं 3.बृज भुषण पंडित को कारा से वचुर्अली प्रस्तुत किया गया। शेष अभियुक्तगण 1.नीरज कुमार गौतम एवं 2.बृज गोपाल की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया गया है, जिसे केवल आज के लिए स्वीकृत किया गया। अभियोजन साक्षी सत्येन्द्र पाल की हाजिरी है। अभियुक्त निखिल गोयल उर्फ निखिल कुमार गोयल की ओर से एक आवेदन दाखिल करते हुए प्रार्थना की गई है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02. 2026 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध वाद संख्या 24667/2026 दाखिल किया गया है। अतः उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण हेतु समय दिया जाए। अन्य अभियुक्तगण की ओर से उनके संबंधित अधिवक्ता द्वारा भी प्रतिपरीक्षण हेतु समय की मांग किया गया, जिसे स्वीकृत किया गया।

अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र सिंह एवं 2.बृज गोपाल की ओर से दिनांक 18.12.2025 को द0प्र0स0 की धारा 340 (धारा 379 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत दाखिल आवेदन को परिचालित करते हुए निवेदन किया गया है कि वर्तमान में यह अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है तथा इसी क्रम में उपरोक्त अभियोजन साक्षी संख्या–4 की गवाही इस न्यायालय में विभिन्न तिथियों पर होने के उपरांत उन्हें उन्मोचित किया गया है। इस साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान कहा गया है कि ''छः माह पूर्व जो निखिल गोयल ने मेरे मामा को धमकाया था, उसकी सूचना मैं और मेरे मामाजी ने पुलिस, थाना, कोर्ट, जनप्रतिनिधि आदि कहीं नहीं दी।'' अवधेश अग्रवाल को धमकी दिये जाने की सूचना मैंने लिखित में पीरबहोर थाना को दिया था।'' उनका आगे कथन है कि उक्त गवाह के रूप में संदर्भित व्यक्ति ''मेरे मामा अवधेश अग्रवाल ही हैं, क्योंकि इस गवाह ने सूचक के रूप में स्वयं को उक्त अवधेश अग्रवाल का भतीजा बताया है, जो इस मामले मृतक है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उक्त साक्षी संख्या–4 दीपक कुमार जो इस मामले का सूचक है, ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 एवं 230 के तहत अपराध किया है। अतः इस मामले के सूचक अभियोजन साक्षी संख्या–4 दीपक कुमार के विरूद्ध भारतीय

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575/2025

लगातार

09.04.2026 न्याय संहिता की धारा 229 एवं 230 के अंतर्गत निर्धारित दंड हेतु कार्यवाही प्रारंभ किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन उपरोक्त का विरोध करते हुए निवेदन किया गया है कि अगर उक्त साक्षी ने न्यायालय में कुछ तथ्य अर्न्तविरोधी कहे हैं तो यह अंतिम बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन धारा 340 द0प्र0स0 का मामला इस स्टेज पर नहीं माना जा सकता।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह विदित होता है कि यह अभिलेख वर्तमान में अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है। अभिलेख के इस प्रक्रम पर इस न्यायालय का विचार है कि अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 18.12.2025 के आवेदन में उठाए गए तथ्यों को अंतिम बहस के दौरान लाया व उठाया जा सकता है और वर्तमान स्टेज पर इस तरह का आवेदन निराधार है। अतः अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र सिंह एवं 2.बृज गोपाल की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.12.2025 अंतर्गत धारा 340 द0प्र0स0 (धारा 379 बी.एन.एस.एस.) को खारिज किया जाता है। वाद दिनांक 17.04.2026 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य हेतु।

लेखापित एवं संशोधित

(प्रमोद कुमार यादव)
अपर सत्र न्या0–प्रथम

निर्णय/आदेश की तिथि	09.04.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	–––––––
अपलोडिंग तिथि	10.04.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक